



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2016/चैत्र 22, 1938

No. 259]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2016/ CHAITRA 22, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 412(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 915 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 26 नवंबर, 2015 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (चौथा संशोधन) नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(2) केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 115ड. के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“115च. बायो डीज़ल (बी100) के लिए मास उत्सर्जन मानदंड - (1) नवनिर्मित यान जिनमें कंप्रेशन इग्नेशन इंजन डीजल या बायो डीज़ल (बी100) सौ प्रतिशत तक बायो डीजल का मिश्रण (जिसे इसमें इसके पश्चात् फ्लैक्स - इंधन बायोडीजल

यान कहा गया है) चलाने के लिए अनुकूल इस प्रकार के होंगे, जो प्रचलित डीजल उत्सर्जन मानकों के अनुसार फिट किए गए हों ”

(2) बायो डीजल ब्लैंड या वी 100 के स्तर के साथ यानों की अनुकूलता यान विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी और उसे यान पर स्पष्टतः दृश्य स्टीकर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा ।

(3) यानों के विभिन्न वर्गों के प्रकार अनुमोदन और विस्तार हेतु परीक्षण अपेक्षाएं निम्नलिखित क्रमशः सारणी 1, सारणी 2, सारणी 3 में विनिर्दिष्ट की गई है :

सारणी 1

3500 किलोग्राम सकल यान भार से कम या उसके बराबर चार पहिया यानों के लिए प्रकार अनुमोदन और विस्तारण हेतु परीक्षण अपेक्षाएं

| क्रम संख्या | परीक्षण | फ्लैक्स – इंधन बायो-डीजल यान |
|-------------|--|------------------------------|
| 1. | गैसीय प्रदूषक (प्रकार I परीक्षण) | डीजल और वी 100 इंधन दोनों पर |
| 2. | त्वरण रहित धुंआ (प्रकार II परीक्षण) | डीजल और वी 100 इंधन दोनों पर |
| 3. | टिकाउपन (प्रकार V), यदि नियत ह्रास कारक (डीएफ) के स्थान पर विकल्प दिए गए हैं | केवल डीजल इंधन पर |
| 4. | ऑन-बोर्ड डाइगनोस्टिक (इंडिया ओ बी डी II) | डीजल और वी 100 इंधन दोनों पर |

सारणी 2

तिपहिया यानों के लिए प्रकार अनुमोदन और विस्तारण हेतु परीक्षण अपेक्षाएं

| क्रम संख्या | परीक्षण | फ्लैक्स – इंधन बायो-डीजल यान |
|-------------|---|------------------------------|
| 1. | गैसीय प्रदूषक (प्रकार I परीक्षण) | डीजल और वी 100 इंधन दोनों पर |
| 2. | त्वरण रहित धुंआ (प्रकार II परीक्षण) | डीजल और वी 100 इंधन दोनों पर |
| 3. | टिकाउपन (प्रकार V), यदि नियत ह्रास कारक | केवल डीजल इंधन पर |

सारणी 3

3500 किलोग्राम सकल यान भार से कम या उसके बराबर चार पहिया यानों के लिए प्रकार अनुमोदन और विस्तारण हेतु परीक्षण अपेक्षाएं

| क्रम संख्या | परीक्षण | फ्लैक्स – इंधन बायो-डीजल यान |
|-------------|--|------------------------------|
| 1. | गैसीय प्रदूषक | डीजल और वी 100 इंधन दोनों पर |
| 2. | त्वरण रहित धुंआ | डीजल और वी 100 इंधन दोनों पर |
| 3. | टिकाउपन, यदि नियत डीएफ के स्थान पर विकल्प दिए गए हैं | केवल डीजल इंधन पर |
| 4. | ऑन-बोर्ड डाइगनोस्टिक (इंडिया ओ बी डी) | डीजल और वी 100 इंधन दोनों पर |

डीजल यान जो बायोडीजल पर बीस प्रतिशत ब्लैंड तक चलाए जाने के लिए अनुकूल घोषित किए गए हैं । प्रचलित उत्सर्जन मानकों हेतु केवल डीजल इंधन के संदर्भ में परीक्षित किए जाएंगे ।

टिप्पण -

- मास उत्सर्जन परीक्षण एम ओ आर टी एच/ सी एम वी आर/टीएपी 115/116 इश्यू 4 और इसके पश्चातवर्ती इश्यू और यथालागू संशोधनों के अनुसार किए जाएंगे, और गैस घनत्व, हाइड्रोजन,

- कार्बन, आक्सीजन अनुपात का निकास करने और इंधन उपभोग सूत्र के लिए गैस घटक घनत्वों के अनुपात का उपयुक्त अद्यतन अनुमोदन प्रक्रिया में किया जाएगा ।
2. यान विनिर्माता यान को प्रकार अनुमोदन के लिए नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी भी परीक्षण अभिकरणों को प्रस्तुत करेगा
 3. बायोडीजल यान जिनका सफल यान भार 3.5 टन के बराबर या इससे कम है, का परीक्षण चौकी शक्तिमापी पर प्रचलित डीजल यान उत्सर्जन चालन चक्र का उपयोग करते हुए किया जाएगा । वी 100 इंधन यान जिनका सकल यान भार 3.5 टन से अधिक है का परीक्षण इंजन शक्तिमापी पर प्रचलित डीजल यान उत्सर्जन चालन चक्र का उपयोग करते हुए किया जाएगा ।
 4. बायोडीजल यान का परीक्षण इन नियमों के उपाबंध IV-S में विनिर्दिष्ट संदर्भ इंधन (आई एस 15607: 2005 के अनुसार) किया जाएगा ।
 5. उत्पादन परीक्षण उपयोजन की अनुकूलता हेतु एम ओ आर टी एच/ सी एम वी आर/टीएपी 115/116 इश्यू 4 और इसके पश्चातवर्ती इश्यू और यथालागू संशोधनों को देखें ; और लागू परीक्षणों हेतु इंधन अपेक्षा के लिए उपरोक्त सारणी 1, सारणी 2 और सारणी 3 देखें ।
 6. उत्पादन बारम्बारता और नमूना की अनुकूलता यान के वर्ग के अनुसार एम ओ आर टी एच/ सी एम वी आर/टीएपी 115/116 इश्यू 4 और इसके पश्चातवर्ती इश्यू और यथालागू संशोधनों में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार होगी
 7. हास कारक यान वर्ग के अनुसार प्रचलित उत्सर्जन मानकों के अनुसार होंगे” ।
3. मूल नियमों में उपाबंध IV-आर और उसके अधीन संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उपाबंध IV-एस

(नियम 115च देखें)

संदर्भ इंधन वी 100 के तकनीकी विनिर्देश

| क्रम सं. | विशेषता | अपेक्षा | परीक्षण की संदर्भ पद्धति | |
|----------|--|---------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | आईएसओ/एएस टीएम/ ईएम | (आईएस का (पी:)1448 |
| 1 | डेनसिटी @ 15 ⁰ सी, केजी/एम ³ | 860-900 | आईएसओ 3675 आईएसओ 12185 डी 4052 | [पी:16/पी:32] |
| 2 | काइनेमैट्रिक विस्कोसिटी @ 40 ⁰ सी, सीएसटी | 2.5-6.0 | आईएसओ 3104 | [पी:25] |
| 3 | फ्लैश पाइंट, पेनस्काई-मार्टेन्स क्लोस्ड – कप टैस्ट (पीएमसीसी) ⁰ सी , मिनिमम | 120 | आईएसओ 3679 | [पी:21] |
| 4 | सलफर, एमजी/केजी, मैक्सीमम | 10.0 | डी 5453 | [पी:83] |
| 5 | कार्बन रेसीड्यू (रैम्सबाटम) ⁽¹⁾ परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.05 | डी 4530 आईएसओ 10370 | -- |
| 6 | सल्फेटेड ऐश, परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.02 | आईएसओ 6245 | [पी:4] |
| 7 | वाटर कंटेंट, एमजी/केजी, मैक्सीमम | 500 | डी 2709 आईएसओ 3733 आईएसओ 6296 | [पी:40] |
| 8 | टोटल कंटैमिनेशन, एमजी/केजी, मैक्सीमम | 24 | ईएन 12662 | -- |

| | | | | |
|----|---|-----------------|------------------------|--------------|
| 9 | कोपर कोरोशन 3 आवर्स @ 50 ⁰ सी, मैक्सीमम | 1 | आईएसओ 2160 | [पी:15] |
| 10 | सीटेन नं., मिनिमम | 51 | आईएसओ 5165 | [पी:9] |
| 11 | एसिड वेल्यू, एमजी केओएच/जी, मैक्सीमम | 0.50 | ईएन 14101 | [पी:1/सैक 1] |
| 12 | मेथनाल ⁽²⁾ , परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.20 | ईएन 14110 | -- |
| 13 | ईथनाल ⁽³⁾ , परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.20 | -- | -- |
| 14 | ईस्टर कंटेंट, परसेंट बाए मास, मिनिमम | 99.5 | ईएन 14103 | -- |
| 15 | फ्री ग्रीसरोल, परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.02 | डी 6584 | -- |
| 16 | टोटल ग्रीसरोल, परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.25 | डी 6584 | -- |
| 17 | फासफोरेस, एमजी/केजी, मैक्सीमम | 10.0 | डी 4951 | -- |
| 18 | सोडियम एंड पोटैशियम, एमजी/केजी, मैक्सीमम | रिपोर्ट करनी है | ईएन 14108 और ईएन 14109 | -- |
| 19 | कैल्शियम एंड मैगनिशियम, एमजी/केजी, मैक्सीमम | रिपोर्ट करनी है | (4) | -- |
| 20 | आयोडिन वेल्यू | रिपोर्ट करनी है | ईएन 14111 | -- |
| 21 | ओक्सीडेशन स्टेबिलिटी ऐट 110 ⁰ सी, एच, मिनिमम | 6 | ईएन 14112 | -- |
| 22 | मोनो-ग्लिसराइड कंटेंट, परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.05 | ईएन 14105 | -- |
| 23 | डी-ग्लिसराइड कंटेंट, परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.01 | ईएन 14105 | -- |
| 24 | ट्राई-ग्लिसराइड कंटेंट, परसेंट बाए मास, मैक्सीमम | 0.01 | ईएन 14105 | -- |

(1) कार्बन अवशेष 100 प्रतिशत नमूना पर चलाए जाएंगे।

(2) फैटी एसिड मिथाइल एस्टर के लिए लागू

(3) फैटी एसिड इथाइल एस्टर के लिए लागू

(4) यूरोप की पद्धति विकासाधीन है।”।

[फा. सं. आर टी – 11028/10/2015 –एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं.(अ), तारीख..... को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2016

G.S.R. 412(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 915(E), dated the 26th November, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 26th November, 2015;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

(1) (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules) after rule 115E, the following rule shall be inserted, namely:-

“115F. Mass emission standards for bio-diesel (B100).- (1) The newly manufactured vehicles fitted with compression ignition engine compatible to run on diesel or mixture of bio-diesel up to hundred per cent. bio-diesel (B100) (hereinafter referred to as flex-fuel bio-diesel vehicle), shall be type approved as per prevailing diesel emission norms.

(2) The compatibility of vehicle to level of bio-diesel blend or B100 shall be specified by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.

(3) Test requirements for the type approval and extension for different classes of vehicles are specified in Table 1, Table 2 and Table 3 below, respectively:

Table 1
Test requirements for type approval and extension
for four wheeled vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3,500 kilograms

| Serial number | Test | Flex-fuel bio-diesel vehicle |
|---------------|---|------------------------------|
| 1. | Gaseous pollutants (type I test) | On both diesel and B100 fuel |
| 2. | Free acceleration smoke (type II Test) | On both diesel and B100 fuel |

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 3. | Durability (Type V), if opted for instead of fixed Deterioration Factor (DF) | Only on diesel fuel |
| 4. | On-board diagnostics (India OBD II) | On both diesel and B100 fuel |

Table 2
Test requirements for type approval and extension
for three wheeled vehicles

| Serial number | Test | Flex-fuel bio-diesel vehicle |
|---------------|--|------------------------------|
| 1. | Gaseous pollutants (Type I test) | On both diesel and B100 fuel |
| 2. | Free acceleration smoke (Type II test) | On both diesel and B100 fuel |
| 3. | Durability (Type V test), if opted for instead of fixed Deterioration Factor | Only on diesel fuel |

Table 3
Test requirements for type approval and extension
for four wheeled vehicles with Gross Vehicle Weight greater than 3,500 kg.

| Serial number | Test | Flex-fuel bio-diesel vehicle |
|---------------|--|------------------------------|
| 1. | Gaseous pollutants | On both diesel and B100 fuel |
| 2. | Free acceleration smoke | On both diesel and B100 fuel |
| 3. | Durability, if opted for instead of fixed DF | Only on diesel fuel |
| 4 | On-board diagnostics (OBD) | On both diesel and B100 fuel |

Diesel vehicles which are declared as compatible to run on bio diesel up to 20 per cent. blend shall be tested only with Reference Diesel Fuel for prevailing emission norms.

Notes.-

- (1) Mass emission tests shall be carried out as per MoRTH/CMVR/TAP-115/116 Issue 4 and its subsequent issues or amendments, as applicable, and suitable updation of the ratio of gas component densities to exhaust gas density, hydrogen-carbon-oxygen ratio and fuel consumption formula shall be done in type approval procedure.
- (2) Vehicle manufacturer shall submit the vehicle to any of the test agencies specified in rule 126, for type approval.
- (3) Bio-diesel vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3.5 tonne shall be tested on chassis dynamometer using the prevailing diesel vehicle emission driving cycle and the B100 fuel vehicles with Gross Vehicle Weight greater than 3.5 tonne shall be tested on engine dynamometers using the prevailing diesel engine emission driving cycle.
4. Bio-diesel vehicles shall be tested with reference fuel (as per IS 15607:2005) specified in Annexure IV-S to these rules.

5. For Conformity of Production test applicability, refer to MoRTH/CMVR/TAP-115/116 Issue 4 and its subsequent issues or amendments, as applicable; and for fuel requirement for applicable tests, refer to above Table 1, Table 2 and Table 3.
6. The Conformity of Production frequency and sampling shall be as per requirements given in MoRTH/CMVR/ TAP-115/116 Issue 4 and its subsequent issues or amendments, as applicable, according to category of vehicle.
7. Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, according to the vehicle categories.”.

3. In the principal rules, after ANNEXURE IV-R and the entries relating thereunder, the following Annexure shall be inserted, namely:-

“ANNEXURE IV-S

[See rule 115F]

Technical specifications of the reference fuel B100

| Serial number | Characteristic | Requirement | Method of Test, reference to | |
|---------------|--|-------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | ISO/ASTM/EN | [P:] of IS 1448 |
| 1 | Density@ 15 ⁰ C, kg/m ³ | 860-900 | ISO 3675 ISO 12185 D 4052 | [P:16/P:32] |
| 2 | Kinematic Viscosity @ 40 ⁰ C, cSt | 2.5-6.0 | ISO 3104 | [P:25] |
| 3 | Flash Point, Pensky-Martens Closed – Cup test(PMCC) ⁰ C , minimum | 120 | ISO 3679 | [P:21] |
| 4 | Sulphur, mg/kg, maximum | 10.0 | D 5453 | [P:83] |
| 5 | Carbon residue (Ramsbottom) ⁽¹⁾ per cent by mass, maximum | 0.05 | D 4530 ISO 10370 | -- |
| 6 | Sulphated ash, per cent by mass, maximum | 0.02 | ISO 6245 | [P:4] |
| 7 | Water content, mg/kg, maximum | 500 | D 2709 ISO 3733 ISO 6296 | [P:40] |
| 8 | Total contamination, mg/kg, maximum | 24 | EN 12662 | -- |
| 9 | Copper corrosion 3 hours @ 50 ⁰ C, maximum | 1 | ISO 2160 | [P:15] |
| 10 | Cetane No., minimum | 51 | ISO 5165 | [P:9] |
| 11 | Acid value, mg KOH/g, maximum | 0.50 | EN 14101 | [P:1/sec 1] |
| 12 | Methanol ⁽²⁾ , per cent by mass, maximum | 0.20 | EN 14110 | -- |
| 13 | Ethanol ⁽³⁾ , per cent by mass, maximum | 0.20 | -- | -- |
| 14 | Ester content, per cent by mass, minimum | 99.5 | EN 14103 | -- |
| 15 | Free Glycerol, per cent by mass, maximum | 0.02 | D 6584 | -- |
| 16 | Total Glycerol, per cent by mass, maximum | 0.25 | D 6584 | -- |
| 17 | Phosphorus, mg/kg, maximum | 10.0 | D 4951 | -- |
| 18 | Sodium and Potassium , mg/kg, maximum | To report | EN 14108 and EN 14109 | -- |

| | | | | |
|----|---|-----------|----------------|----|
| 19 | Calcium and Magnesium, mg/kg, maximum | To report | ⁽⁴⁾ | -- |
| 20 | Iodine value | To report | EN 14111 | -- |
| 21 | Oxidation stability at 110 °C, h, minimum | 6 | EN 14112 | -- |
| 22 | Mono-glyceride content, per cent by mass, maximum | 0.05 | EN 14105 | -- |
| 23 | Di-glyceride content, per cent by mass, maximum | 0.01 | EN 14105 | -- |
| 24 | Tri-glyceride content, per cent by mass, maximum | 0.01 | EN 14105 | -- |

- (1) Carbon residue shall be run on 100 per cent sample.
(2) Applicable for fatty acid methyl ester.
(3) Applicable for fatty acid ethyl ester.
(4) European method is under development.”.

[F. No. RT-11028/10/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number _____(E) dated _____.